



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-3-4

क्रमांक- १२/2017

सं0 ई/9/16/भाग-11/चार

दिनांक २/02-2017

सांचेव/महाप्रबन्धक,
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वाद रनिंग कर्मचारियों
से सम्बन्धित वेतन का तत्व।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई(पी एण्ड ए)।।-2015/आरएस-25 दिनांक
24.01.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी
जा रही है।

संलग्नक/उपरोक्त

(Signature)
(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज
कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3 महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं आबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 5- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

(Signature)
21.02.17
कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक

10007

महाप्रबन्धक कार्यालय
पुणे रेलवे, गोरखपुर
06 FEB 2017
पुणे
सचिव

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

CPO, F&A CRO
Pl. implement
immediately.

2
10/2/17
Gm

सं. ई (पी एण्ड ए)-II/2015/आरएस-25

नई दिल्ली, दिनांक 24.01.2017

13/2/17

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें,
और उत्पादन इकाइयां.

NER

gorakhpur

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद रनिंग कर्मचारियों से संबंधित वेतन का तत्व।

78

→

यह देखा गया है कि कुछ रेल पर रनिंग कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त के लाभ के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के आकलन में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में निर्धारित मूल वेतन पर 55% के संवर्धित वेतन तत्व (add-on pay element) की गणना नहीं की जा रही है। आईआरईएम-1 के नियम 924(iii), जो अब भी वैध है, के अनुसार मूल वेतन के 55% को रनिंग कर्मचारियों के पेंशन और मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति अनुदान के आकलन के लिए संवर्धित वेतन तत्व की गणना की जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि रनिंग कर्मचारियों के सेवानिवृत्त लाभों का आकलन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में संशोधित मूल वेतन के संबंध में आईआरईएम-1 के विद्यमान नियम 924(iii) के अनुसार किया जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किए जाते हैं।

Ch. OS/Rulling
Pl. circulate.
14/2

धुव सिंह
(धुव सिंह)
कार्यपालक निदेशक
वेतन आयोग-1
रेलवे बोर्ड
टेलीफैक्स सं. 23378355

326

प्रतिलिपि: वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।

14/2
Received
15-2-2017

AJ OFCL- PAY ELEMENT RELATING TO RUNNING STAFF